

लेडी इर्विन महाविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय

सिकंदरा रोड़, नई दिल्ली - 110 001

ऑफिस : 011-2332 3257, एक्स : 113, 118

फोन 011-2373 9249, 011-2332 1635, 011-2373 7446

टेलीफैक्स 011-2371 1222

ई-मेल : director@lic.du.ac.in



LADY IRWIN COLLEGE

(University of Delhi)

Sikandra Road, New Delhi-110 001

Off.: 011-2332 3257, Ext.: 113, 118

Ph.: 011-2373 9249, 011-2332 1635, 011-2373 7446

Telefax: 011-2371 1222

Email : director@lic.du.ac.in

NIRF 2022 Rank 16

LIC/COMP/2024/002

09.08.2024

अधिसूचना

सूचित किया जाता है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले (मामलों) की जांच के लिए महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने 31.08.2023 तक हुई मृत्यु/चिकित्सा आधार पर दिव्यांगता के मामलों पर विचार करने का निर्णय लिया। जैसा कि अनुकंपा नियुक्ति के नियम में अधिदेशित है, 31.08.2023 तक के रिक्त पदों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति द्वारा भरे जाने के लिए 02 पदों की पहचान की जा सकती थी और महाविद्यालय द्वारा दिनांक 14.03.2023 के विज्ञापन संख्या -एलआईसी/गैर शिक्षण /विज्ञा./ 2023/01 (LIC/Non-Teaching/Adv/2023/01) के माध्यम से विज्ञापित किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए विचारार्थ 13 आवेदक थे। महाविद्यालय ने इन पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। इसके अतिरिक्त, आवेदन आमंत्रित करने की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अधिसूचित की गई, ताकि 31.08.2023 तक की उपरोक्त निर्दिष्ट समयावधि के दायरे में आने वाले अन्य पात्र आवेदकों को भी अवसर प्राप्त हो सके। समिति ने प्राप्त आवेदनों की जांच निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की:

1. आवेदक की आयु, आश्रितता, शैक्षणिक योग्यता आदि पात्रता शर्तों के बारे में सामान्य नियमों अर्थात पेंशन नियमों के अनुसार तथा तदनुसार विषय से संबंधित स्थापना नियमों पर किया जाता है।
2. मृतक पर आवेदक की निर्भरता विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी की मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि के अनुसार मानी गई है। तदनुसार, इस प्रकार विचारित पुत्र/पुत्री को मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि पर आश्रित होना चाहिए।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(डी) के अनुसार, मृतक के जीवन साथी/जीवन संगिनी के आवेदन नहीं करने/योग्य नहीं होने की स्थिति में समिति ने मृतक के परिवार के आश्रित सदस्य के भरण-पोषण हेतु विवाहित पुत्र के मामलों पर मृतक कर्मचारी पर आश्रितता के रूप में विचार किया।
4. विधवा/तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियों) को केवल तभी योग्य माना जाता है, जब वह दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके आश्रित परिवार की सदस्य होती हैं। हालांकि, आज तक विवाहिता पुत्री को आश्रित नहीं माना जाता है।



5. आवेदक की आर्थिक अभावग्रस्तता का आकलन करने के लिए समिति ने डाक विभाग, आईटी मंत्रालय, सीबीआईसी जैसे विभिन्न सरकारी विभागों की अधिसूचनाओं (अनुलग्नक-I) पर विचार करते हुए डीओपीटी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार वेटेज प्वाइंट प्रदान करने के लिए एक प्वाइंट आधारित मेरिट प्रणाली (पीबीएमएस) तैयार की है।
6. समिति ने अपने समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों पर विचार किया तथा नियमों/दिशानिर्देशों के आधार पर विस्तृत विचार-विमर्श/चर्चा के बाद आवेदकों की दो सूचियों को अंतिम रूप दिया, जो निम्नलिखित हैं:
 - 6.1. 08 उम्मीदवार अस्थायी रूप से 'योग्य' पाए गए (अनुलग्नक-II)
 - 6.2. 05 उम्मीदवार भर्ती नियम/दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी रूप से 'अयोग्य' पाए गए (अनुलग्नक-III)
7. उपरोक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित को भी सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यानार्थ लाया गया :
 - 7.1 चूंकि, 31.08.2023 तक हुई मृत्यु/चिकित्सा दिव्यांगता के मामलों से संबंधित आवेदनों पर विचार किया गया है, इसलिए उनके दावों को निपटाया जा चुका /बंद माना जाएगा और वर्तमान चक्र की इन नियुक्तियों के बाद उन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।
8. हितधारकों की जानकारी के लिए उपरोक्त सूचना और अनुलग्नक इसके साथ अधिसूचित किए गए हैं।
9. यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो कृपया 20.08.2024 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेजें:

पता: निदेशक,
लेडी इर्विन महाविद्यालय,
सिकंदरा रोड, नई दिल्ली - 110 001

प्राप्त अभ्यावेदन एक लिफाफे में होना चाहिए जिस पर "अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन" लिखा होना चाहिए।

नियत तिथि के बाद प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक
लेडी इर्विन महाविद्यालय

संलग्नक: अनुलग्नक-I, II, और III



Sub:- Scheme for compassionate appointment - Relative merit points and revised procedure for selection.

1. Family Pension (Basic excluding DA & Allowances) (20 points)

Sr.No.	Slabs	Weightage Points
1.	Upto Rs. 9,000	20
2.	09,001 - 11,500	18
3.	11,501 - 14,000	16
4.	14,001 - 16,500	14
5.	16,501 - 19,000	12
6.	19,001 - 21,500	10
7.	21,501 - 24,000	08
8.	24,001 - 26,500	06
9.	26,501 - 29,000	04
10.	29,001 - 31,500	02
11.	31,501 and above	00

2. Terminal Benefits i.e. Lump sum amount received by the family of the deceased (i.e. DCR Gratuity, GPF/PPF A/c balance, Leave Encashment, CGEGIS, LIC/PLI etc.) / Lump sum Amount received under NPS etc. (10 points)

Terminal Benefits			
For post 01.01.2016 death cases	For death cases between 01.01.2006 to 31.12.2015	For pre 01.01.2006 death cases	Weightage Points
Upto 10,00,000	Upto 4,50,000	Upto 1,00,000	10
10,00,001-11,87,500	4,50,001-5,25,000	1,00,001-1,20,000	09
11,87,501-13,75,000	5,25,001-6,00,000	1,20,001-1,40,000	08
13,75,001-15,62,500	6,00,001-6,75,000	1,40,001-1,60,000	07
15,62,501-17,50,000	6,75,001-7,50,000	1,60,001-1,80,000	06
17,50,001-19,37,500	7,50,001-8,25,000	1,80,000-2,00,000	05
19,37,501-21,25,000	8,25,001-9,00,000	2,00,001-2,20,000	04
21,25,001-23,12,500	9,00,001-9,75,000	2,20,001-2,40,000	03
23,12,501-25,00,000	9,75,001-10,50,000	2,40,001-2,60,000	02
25,00,001-26,87,500	10,50,001-11,25,000	2,60,001-3,00,000	01
26,87,501 & Above	11,25,001 & Above	3,00,001 & Above	00

उपरो.
01.2.2022

S.R. MB

Contd



ANNEXURE - I (D/II)

- 80 -

Contd. from pre-page :-

3. Total Annual Income of earning members from all other sources including movable/immovable property of the family (10 points)

Sr. No.	Annual Income	Weightage Points
1.	Nil	10
2.	1 - 1,05,000	08
3.	1,05,001 - 1,35,000	06
4.	1,35,001 - 1,65,000	04
5.	1,65,001 - 1,95,000	02
6.	1,95,001 and above	00

Note: To be verified from the documents (like, bank statement, ITR, certificate from Revenue Authorities) and affidavit produced by the applicant and verified by the Establishment Branch.

4. Left over service (15 points)

Left over service of deceased	Weightage Points	Left over service of deceased	Weightage Points	Left over service of deceased	Weightage Points
Upto 02 years	01	Upto 12 years	06	Upto 22 years	11
Upto 04 years	02	Upto 14 years	07	Upto 24 years	12
Upto 06 years	03	Upto 16 years	08	Upto 26 years	13
Upto 08 years	04	Upto 18 years	09	Upto 28 years	14
Upto 10 years	05	Upto 20 years	10	Upto 30 years	15

5. No. of dependents (15 points)

Sr. No.	No. of Dependents	Weightage Points
1.	1	05
2.	2	10
3.	3 and above	15

6. No. of unmarried daughters (15 points)

Sr. No.	No. of unmarried daughters	Weightage Points
1.	None	00
2.	1	05
3.	2	10
4.	3 and above	15

7. No. of minor children/Unmarried Sister or Brother of deceased (15 points)

Sr. No.	No. of minor children/Unmarried Sister or Brother of deceased	Weightage Points
1.	None	00
2.	1	05
3.	2	10
4.	3 and above	15

Contd.

01.2.2022
S.P. [Signature]

- 4 -



Contd. from pre-page:-

8. Unmarried / dependent major son i.e. physically and mentally challenged
(without age limit) (5 points)

Sr. No.	No. of Unmarried Major Son/dependent Major son	Weightage Points
1.	1	03
2.	2	04
3.	3 and above	05

Note: To be verified from service record, single status certificate / affidavit notarized by District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate produced by the applicant and verified by Establishment Branch. The disability as defined by DoPT for reservation for persons with Disabilities from time to time for appointment in Central Government will be ensured. Related certificates to be obtained accordingly.

(Total 105 points)

Important Notes:-

- (a) If any applicant found 'not eligible' on the parameters prescribed in DoPT Instructions and/or in accordance with the Recruitment Rules/Ordinance/Statutes/Regulations of the University; (b) and also in cases where overall income of the family is more than 8 lakh per annum, the application(s) will not be considered further and no merit points/marks will be calculated for such candidate(s).
- If it is found at any stage that the candidate/dependent has given incomplete or blank information/entry in the application form/enclosures, 'Zero' marks will be awarded on such parameter(s). In addition, if the incomplete/blank entry results in inappropriate financial assessment viz. income, employment, etc. the candidature will be summarily rejected.
- Tie-breaking procedure:-
 - While applying 105 points scale parameters, if situation arises that some candidates secure equal marks in merit point the preference would be given to the widowed applicant.
 - Further, in case of tie again, the tie breaking factor can be per dependent available income i.e., total of first three financial parameters (Pension-annualized, total terminal benefits and annual income of earning members and income from property) divided by total number of dependents. The lesser the per dependent available income, the higher the rank amongst the applicants whose scores had a tie.
 - In case of tie even after applying the factor of per dependent available income, then the left-over service of the deceased. Applicants related to Government servant with higher left-over service would be considered over the one with lesser left-over service. In case of tie even then, the next factor can be No. of physically/mentally challenged dependents & unmarried daughter(s). In case of tie even then, the next factor will be age of the applicant, the elder applicant be given preference.

S.R.
01.2.2022

S.R. [Signature] [Signature]



अस्थायी रूप से 'योग्य' उम्मीदवारों की सूची

क्र.सं.	मृतक कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	मृतक की जन्मतिथि	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि	आवेदक का नाम	आवेदक की जन्मतिथि	कर्मचारी के साथ संबंध
1	रमेश चंद भरमोरिया	प्रयोगशाला सहायक	एचडीसीएस	14-02-1960	05-02-2008	अरुण ठाकुर	16-7-1986	पुत्र
2	सतबीर सिंह सोलंकी	तकनीकी सहायक	डीसीई/ सीआरएमई	07-05-1950	01-06-2009	जयदीप सोलंकी	21-12-1984	पुत्र
3	सुरेश कुमार	प्रयोगशाला सहायक	एफएएस	12-10-1957	10-10-2012	श्वेता	03-07-1998	पुत्री
4	चन्दर सिंह रावत	प्रयोगशाला सहायक	एफएएस	20-07-1970	02-02-2015	रमन सिंह रावत	30-07-1999	पुत्र
5	संदीप सोलंकी	प्रयोगशाला परिचारक	एफएन	10-12-1975	21-09-2016	चित्रा सोलंकी	05-08-1996	पुत्री
6	विनोद कुमार III	प्रयोगशाला सहायक	डीसीई	15-02-1968	15-01-2021	दिव्या	17-04-1996	पुत्री
7	डबल सिंह रावत	छात्रावास अनुचर	छात्रावास	27-10-1983	01-05-2021	पूजा रावत	13-05-1984	पत्नी
8	सुनील कुमार	प्रयोगशाला परिचारक	डीसीई	30-03-1965	23-09-2021	अभिमन्यु	24-05-1999	पुत्र


इन आवेदकों को 20 अगस्त 2024 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले, निदेशक, लेडी इर्विन महाविद्यालय, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली- 110001 को निम्नलिखित दस्तावेज, जो भी लागू हों, प्रस्तुत करने होंगे:

(1) मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी सहित सभी पात्र आवेदकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उन्हें लेडी इर्विन महाविद्यालय में आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(2) मृतक कर्मचारी की पुत्री का मामला होने की स्थिति में आवेदक की वैवाहिक स्थिति की घोषणा करने वाला हलफनामा।

(3) आवेदक के रोजगार की वर्तमान की स्थिति के बारे में हलफनामा।

अस्वीकरण: इस सूची में नाम शामिल होना आवेदक को किसी भी तरह की नियुक्ति की पेशकश का हकदार नहीं बनाता।



अस्थायी रूप से 'अयोग्य' उम्मीदवारों की सूची

क्र.सं.	मृतक कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	मृतक कर्मचारी की जन्मतिथि	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि	आवेदक का नाम	आवेदक की जन्मतिथि	कर्मचारी के साथ संबंध	अयोग्यता का कारण
1	राम प्रसाद	पशु परिचारक	एफएंड एन	10-08-1952	15-06-2004	उषा	10-04-1982	पुत्री	विवहिता पुत्री
2	अतर सिंह	सफाई कर्मचारी	छात्रा वास	15-05-1947	01-05-2006	मांगे राम	10-03-1981	पुत्र	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर आश्रित नहीं था
3	प्रताप सिंह रावत	प्रयोगशाला परिचारक	रसायन शास्त्र	12-02-1966	15-11-2010	विनीत सिंह रावत	08-02-1993	पुत्र	कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आवेदक अपनी मां की मृत्यु के बाद आश्रित नहीं था।
4	राज कुमार	प्रयोगशाला सहायक	एफएंड एन	13-04-1964	09-06-2017	अमित	02-07-1991	पुत्र	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर आश्रित नहीं था
5	गोरे लाल	रसोइया	छात्रा वास	26-10-1962	26-05-2021	सुमित कुमार	29-10-1986	पुत्र	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर आश्रित नहीं था

उपर्युक्त आवेदक अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अपने दावे और पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज विचारार्थ 20 अगस्त 2024 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले, निदेशक, लेडी इर्विन महाविद्यालय, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली - 110001 को प्रस्तुत कर सकते हैं।

अस्वीकरण: इस सूची में नाम शामिल होना आवेदक को किसी भी तरह की नियुक्ति की पेशकश का हकदार नहीं बनाता।

